[2021] 11 एस. सी. आर. 142

छत्तीसगढ़ राज्य और एएनआर।

बनाम

मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड

(2010 की सिविल अपील सं. 4353)

नवंबर 08,2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और हिमा कोहली, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 34 , 37 , 34 (2ए),

28 (3) – मध्यस्थ पुरस्कार-पेटेंट अवैधता के साथ हस्तक्षेप-तथ्यों पर, पक्षों के बीच समझौता जिसमें राज्य प्रतिवादी को साल के बीज की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ-कंपनी समझौता खंड

राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय में साल के बीजों की लागत के लिए गणना की गई राशि पर पर्यवेक्षण शुल्क लगाने का प्रावधान, हालांकि, प्रतिवादी

कंपनी ने अपीलकर्ता को कथित रूप से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया-साल के बीजों की आपूर्ति के लिए किए गए पर्यवेक्षण शुल्क के लिए राज्य-मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ निर्णय कि इस तरह के किसी भी "अप्रत्यक्ष खर्च" को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं था-अपीलकर्ता द्वारा याचिका-यह बताएँ कि मध्यस्थ और उच्च न्यायालय ने भी प्रतिवादी से 'पर्यवेक्षण शुल्क' की वसूली से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की बाध्यकारी शर्तों की अनदेखी की-कंपनी ने कहा: एक मध्यस्थ पुरस्कार को तब अलग किया जा सकता है जब "पेटेंट अवैधता" हो-एकमात्र मध्यस्थ की ओर से पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने में विफलता, "पेटेंट अवैधता आधार" को आकर्षित करती है, क्योंकि यह एस के सकल उल्लंघन के बराबर है। 28 (3) , जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पुरस्कार देते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देता है - यह मध्यस्थ पुरस्कार के सामने प्रकट पेटेंट अवैधता है क्योंकि पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते के स्पष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी परिपत्र को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है-प्रत्यर्थी से बरामद 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती की अनुमति देने वाला पुरस्कार-अपीलकर्ता द्वारा कंपनी-राज्य साल के बीजों की कीमत की गणना करते समय उसके द्वारा किए गए खर्च के एक हिस्से के रूप में, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

एसएस। 34 (2ए), 37-मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन की शक्ति, जब पुरस्कार पेटेंट अवैधता से दूषित होता है-प्रयोज्यता

142 छत्तीसगढ़ राज्य

& एएनआर। वी. मेसर्स सेल उद्योग

निजी सीमित

यू/एस के खिलाफ अपील करने के लिए पेटेंट अवैधता का आधार। 37 - आयोजित किया गया: एस. 34 (2ए) न्यायालय को एक पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार देता है यदि वह पाता है कि यह पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है। ऐसा प्रावधान जो किसी न्यायालय को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाता है -

याचिका यू / एस. 34, पुरस्कार को अलग रखने के लिए, यू/एस की वरीयता प्राप्त अपील में उपलब्ध होगा। 37 अधिनियम की अभिव्यक्ति-उप-नियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति यह है कि "न्यायालय यह पाता है कि"-एक बार जब अपीलार्थी-राज्य इस तरह का आधार लेता है। 37 याचिका और यह विवादित फैसले में विधिवत नोट किया गया था, उच्च न्यायालय को एस का सहारा लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए था। 34 (2ए), एक प्रावधान जो एक अपील योग्य आदेश के लिए आवेदन के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा। 37 जैसा कि यह यू/एस द्वारा दायर याचिका के लिए है। 34 अपीलार्थी के विरुद्ध ली गई छूट की याचिका-इस आधार पर कहें कि उसने अनुभागों में वर्णित आधारों में ऐसी आपत्ति नहीं उठाई है। 34 याचिका दायर की जाती है और इस प्रकार, अपील यू/एस में इसे लेने से रोक दिया जाता है। 37 या इस न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी के लिए उपलब्ध नहीं है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अदालतों द्वारा हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से सीमित मध्यस्थता मामलों में। उन आधारों में से एक जिस पर एक पुरस्कार

"पेटेंट अवैधता" को अलग रखा जा सकता है। [पैरा 13] [151-जी; 152-ए]

1.2 यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 30 अगस्त, 1979 के मूल समझौते और 30 अप्रैल, 1992 के नवीनीकृत समझौते दोनों में,

" पर्यवेक्षण शुल्क "। अधिकांश नियम और शर्तें

मूल समझौता-खंड 6 (बी) और नवीनीकृत समझौता

खंड 5 (बी) भौतिक रूप से समान हैं। उक्त खंडों में निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति के लिए किए गए खर्च साल के बीजों को दूसरों के बीच शामिल किया जाना था, 'पर्यवेक्षण'

आरोप '। पहले समझौते का खंड 8 दूसरे समझौते के खंड 7 के समान है जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्यर्थी-कंपनी को साल के बीजों की आपूर्ति अग्रिम भुगतान के खिलाफ होगी। 30 जुलाई, 1979 के

समझौते के खंड 9 (ii) और 30 अप्रैल, 1992 के समझौते के खंड 8 (ii) के बीच भी समानता है, जिसमें प्रतिवादी-कंपनी को एक निर्धारित समय के भीतर एकत्रित साल के बीजों की डिलीवरी लेने की आवश्यकता होती है और [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निर्धारित करें कि ऐसा करने में विफलता के मामले में, पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम का किराया एक निश्चित मूल्य पर देय होगा। [पैरा 18] [158-सी-एफ]

1.3 यद्यपि अपीलार्थी-राज्य ने प्रत्यर्थी के दावे पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति उठाई-कंपनी

पर्यवेक्षण शुल्क की कटौती की मांग करते हुए, जिसके लिए उसने समझौते के खंड 6 (बी) और 27 जुलाई, 1987 के परिपत्र पर भरोसा किया, यह दावा करने के लिए कि खर्चों के साथ पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली प्रतिवादी-कंपनी के साथ निष्पादित अनुबंध का एक हिस्सा और पार्सल था, उक्त आपत्ति को कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

एकमात्र मध्यस्थ पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से देखते हुए और उनका पालन करते हुए

कि ऐसे किसी भी "अप्रत्यक्ष व्यय" को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी परिपत्र

मध्य प्रदेश जो साल की लागत के लिए गणना की गई राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाने का प्रावधान करता है

खर्च में बीज को भी नजरअंदाज कर दिया गया। विशेष रूप से, प्रत्यर्थी-कंपनी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क लगाया जा रहा था-राज्य और भुगतान किया जा रहा था

वार्षिक आधार पर किए गए अग्रिम भुगतान के एक भाग के रूप में बिना किसी आपत्ति के, पार्टियों द्वारा पहला समझौता करने की तारीख से, यानी 30 अगस्त, 1979 से। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा दायर आदेशों की नमूना प्रतियों से भी सामने आता है-उस अपील के साथ जो पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले साल के बीजों की लागत में 'पर्यवेक्षण शुल्क' शामिल हैं जिनका वर्णन इस प्रकार किया गया है -

" पर्यवेक्षण व्याय "स्थानीय भाषा में। अपीलकर्ता-राज्य द्वारा 21 दिसंबर, 1998 को दूसरा अनुबंध समाप्त करने के बाद ही प्रतिवादी-कंपनी ने विवाद उठाया और पहली बार अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया।

पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले समझौते के स्पष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ 27 जुलाई, 1987 के परिपत्र में भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। [अनुच्छेद 22] [160-डी-एच; 161-ए-बी] छत्तीसगढ़ राज्य

& एएनआर। वी. मेसर्स सेल उद्योग

निजी सीमित

1.4 अपीलार्थी के खिलाफ माफी की याचिका-राज्य

इस आधार पर कि उसने धारा 34 याचिका में उल्लिखित आधारों में ऐसी आपत्ति नहीं उठाई और इसलिए, धारा 37 के तहत या इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है, प्रतिवादी कंपनी को 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) में उपयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए भी उपलब्ध नहीं होगा, जो न्यायालय को एक पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार देती है यदि वह पाता है कि वह धारा 34 याचिका में दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है। एक ही चेहरा। एक बार जब अपीलकर्ता-राज्य ने धारा 37 की याचिका में ऐसा आधार ले लिया था और विवादित फैसले में इसका विधिवत उल्लेख किया गया था, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए था -

1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) का सहारा लेते हुए, एक ऐसा प्रावधान जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका के समान ही धारा 37 के तहत अपील योग्य आदेश के लिए आवेदन के लिए उपलब्ध होगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी-कंपनी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2ए) के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए उपलब्ध आधारों को न्यायालय द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने दम पर लागू नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से, उप-नियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति है "न्यायालय यह पाता है"। इसलिए, यह तर्क के लिए खड़ा नहीं है कि एक प्रावधान जो एक न्यायालय को एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए धारा 34 के तहत एक याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, एक अपील में उपलब्ध नहीं होगा।

1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत वरीयता दी गई। [पैरा 23] [161-सी-एफ]

1.5 समझौते में खंड 6 (बी) का अस्तित्व

पक्षकारों को शासित करने पर न तो विवाद हुआ है और न ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाने और वास्तविक व्यय में कटौती करने के बाद साल के बीजों की लागत में इसे जोड़ने के संबंध में 27 जुलाई, 1987 को जारी परिपत्र के आवेदन पर प्रतिवादी-कंपनी द्वारा सवाल उठाया गया है। इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ की ओर से पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के अनुसार

निर्णय लेने में विफलता निश्चित रूप से "पेटेंट अवैध आधार" को आकर्षित करेगी, क्योंकि उक्त निरीक्षण सकल उल्लंघन के बराबर है।

1996 के अधिनियम की धारा 28 (3), जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देती है

पुरस्कार. उक्त 'पेटेंट अवैधता' केवल स्पष्ट नहीं है

पुरस्कार के रूप में, यह मामले की जड़ तक जाता है और [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तक्षेप योग्य है। आक्षेपित अधिनिर्णय, जहाँ तक कि इसने प्रत्यर्थी-अपीलार्थी द्वारा कंपनी-से वसूल किए गए 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती की अनुमति दी है, साल के बीजों की कीमत की गणना करते समय उसके द्वारा किए गए खर्च के एक हिस्से के रूप में राज्य को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है, क्योंकि पक्षकारों और संबंधित को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के साथ सीधा टकराव होता है।

वृत्ताकार। विवादित निर्णय को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। [पैरा 25] [162-सी-जी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2010) 4 एससीसी 518 [2010] 4 एससीआर 46 - अप्रयोज्य रखा गया।

दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 695; लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [2018] 16 एस. सी. सी. 758: [2018] 6 एससीआर 683; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण [2015] 3 एस. सी. सी. 49 [2014] 13 एस. सी. आर. 895; सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) [2019] 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 6 एससीआर 683

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2010] 4 एससीआर 46

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 4353

2010 से।

उच्च न्यायालय के 21.10.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 की मध्यस्थता अपील No.22 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का।

सुश्री प्रेरणा सिंह, निशांत पाटिल, विदित मोंगा, सुश्री शुभिका

सलुजा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

प्रणव मल्होत्रा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

छत्तीसगढ़ राज्य

& एएनआर। वी. मेसर्स सेल उद्योग

निजी सीमित

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली, जे.

1. अपीलार्थी-छत्तीसगढ़ राज्य एक आम अपील से व्यथित है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दो अपीलों का निपटारा करते हुए 21 अक्टूबर, 2009 का निर्णय पारित किया गया; एक अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई और दूसरी प्रत्यर्थी द्वारा पसंद की गई-मेसर्स। साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड 2, जिसके तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 3 की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका में 14 मार्च, 2006 को जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा पारित आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है और नोटिस की तारीख यानी 6 दिसंबर, 2009 से प्राप्ति तक प्रतिवादी के पक्ष में दिए गए ब्याज को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। उसी समय, प्रतिवादी-कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 30 अगस्त, 1979 को मध्य प्रदेश राज्य ने इसके साथ एक समझौता किया था -

प्रत्यर्थी-12 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10,000 टन साल के बीजों की आपूर्ति के लिए कंपनी। वर्ष 1987 में, नुकसान का सामना करना पड़ा राजस्व, मध्य प्रदेश सरकार ने वन उपज से संबंधित सभी समझौतों को रद्द करने का निर्णय लिया और एक कानून बनाया। हालाँकि, उक्त अधिनियम को एक दशक के बाद, 1 जनवरी, 1997 को अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम की किसी भी अधिसूचना के अभाव में, मध्य प्रदेश राज्य और प्रतिवादी-कंपनी के बीच समझौते को 30 अप्रैल, 1992 को नवीनीकृत किया गया था और यह 29 अप्रैल, 2004 तक वैध था। नवीनीकृत समझौते के तहत, मध्य प्रदेश राज्य ने प्रतिवादी-कंपनी को 10,000 टन साल के बीज की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। जब अधिनियम को अंततः वर्ष 1996 में धारा 5ए के आधार पर अधिसूचित किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य ने 21 दिसंबर, 1998 को 30 अप्रैल, 1992 के समझौते को समाप्त कर दिया। उक्त समाप्ति से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी कंपनी ने समझौते में मध्यस्थता खंड संख्या 23 का आह्वान करते हुए 6 दिसंबर, 1999 को एक नोटिस जारी किया और कुछ विवादों को उठाया, जिसमें -

रुपये की राशि वापस करने का दावा। 1,72,17,613 / - (केवल एक करोड़ बत्तर लाख सत्रह हजार छह सौ तेरह रुपये) इस आधार पर कि उक्त राशि का भुगतान राज्य को अधिक किया गया था

1 2006 की अपील सं. 22

2 2006 का एम. ए. सं. 727 3 3 संक्षेप में "1996 अधिनियम" 4 एम. पी. वन उपज के करारो का पुनरीक्षा अधिनियम सं. 1987 का 32 दिनांक शून्य [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1981-82 से 31 दिसंबर, 1998 के बीच की अवधि के दौरान साल के बीजों की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश।

3. पूर्णता के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि

प्रतिवादी-कंपनी ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ के समक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 लागू हुआ। नतीजतन, प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर आवेदन को बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। पक्षों की सहमति से उक्त कार्यवाही में 21 मार्च, 2002 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें एक एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी, जिसे बाद में एक अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

4. माध्यस्थम पुरस्कार दिनांक 17.02.2005 के माध्यम से, का दावा

प्रत्यर्थी-कंपनी को अनुमति दी गई और इसके पक्ष में रु. 7,43,46,772/- (सात करोड़ तैंतीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ बयालीस रुपये) की राशि प्रदान की गई, जिसमें 1 मार्च, 2005 से देय 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से भविष्य के ब्याज के साथ फरवरी, 2005 तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज शामिल था। 5. उपरोक्त अधिनिर्णय से व्यथित, अपीलार्थी-राज्य ने जिला न्यायाधीश के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की,

रायपुर। 14 मार्च, 2006 के आदेश के अनुसार, विद्वान जिला न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी के पक्ष में दिए गए ब्याज की सीमा तक इसे संशोधित करने के अलावा पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया- कंपनी

और इसे समझौते की तारीख से 31 दिसंबर, 1999 तक के बजाय नोटिस की तारीख यानी 6 दिसंबर, 1999 से देय बनाना।

6. अपीलार्थी-राज्य ने 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील को प्राथमिकता देते हुए 14 मार्च, 2006 के आदेश पर हमला किया। उत्तरदाता

कंपनी ने संशोधन से व्यथित होकर एक क्रॉस अपील भी दायर की

पुरस्कार और उसके पक्ष में दिए गए ब्याज की अवधि में कमी। अपीलकर्ता-राज्य द्वारा अपील में कई दलीलें की गईं, जिनमें एक आवश्यक पक्ष के रूप में मध्य प्रदेश राज्य के गैर-जॉइंडर का आधार भी शामिल था; कि प्रतिवादी-कंपनी ने दोनों समझौतों के पूरे कार्यकाल के दौरान कभी भी अतिरिक्त वसूली की वापसी का दावा नहीं किया और यह कि

प्रत्यर्थी के दावे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ रोक लगाने की याचिका भी दायर की गई थी।

छत्तीसगढ़ राज्य और एएनआर। वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

7. 30 अप्रैल, 2010 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत वर्तमान याचिका में अनुमति दी गई थी, केवल 5 लाख रुपये के पर्यवेक्षण शुल्क की अस्वीकृति के मुद्दे तक सीमित थी। 1.49 पुरस्कार के

तहत, जो अपीलकर्ता-राज्य के अनुसार, समझौते के तहत प्रतिवादी कंपनी द्वारा वहन करने के लिए उत्तरदायी था, यह न्यायालय वर्तमान अपील में अपीलकर्ता-राज्य द्वारा की गई अन्य याचिकाओं की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करता है।

8. अपीलार्थी-राज्य की विद्वान वकील सुश्री प्रेरणा सिंह ने तर्क दिया है कि समझौते के नियमों और शर्तों का अवलोकन

यह स्पष्ट करें कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी को साल के बीज की आपूर्ति के लिए हर वर्ष किए जाने वाले खर्च-कंपनी में न केवल संग्रह की लागत, उत्पादकों और कमीशन एजेंटों को भुगतान किया गया खरीद मूल्य, भंडारण और परिवहन की लागत शामिल होगी, बल्कि इसमें संचालन और पर्यवेक्षण भी शामिल होगा।

शुल्क लेते हैं। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता-राज्य द्वारा की गई उक्त याचिका को विद्वान मध्यस्थ द्वारा पैरा 18 में विधिवत नोट किया गया था, लेकिन पुरस्कार के पैरा 19 में गलती से खारिज कर दिया गया था। पुरस्कार के पैरा 18 और 19 तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

" 18. प्रतिवादी का आगे निवेदन यह है कि पर्यवेक्षण व्यय के संबंध में समझौते के खंड 6 (बी) में इसका उल्लेख किया गया है और प्रावधान यह भी आदेश देता है कि प्रतिवादी द्वारा खर्च किए गए अन्य खर्चों के साथ पर्यवेक्षण व्यय की वसूली की जाएगी। जहाँ तक पर्यवेक्षण व्यय का संबंध है जो इस बात से संबंधित है कि साल के बीजों के संग्रह के संबंध में उन सभी खर्चों के तहत

सरकार का झंडा। और इन खर्चों में गोदाम का किराया, अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन, विभाग में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति और उनका यात्रा भत्ता, वाहन, टेलीफोन, फर्नीचर, परिवहन और वाहन के अन्य सभी खर्च शामिल हैं। ये सभी ऐसे आनुपातिक खर्च हैं जिन्हें नीचे नहीं दिखाया जा सकता है।

साल के बीज के सिर के नीचे बिल या वाउचर का सिर और

इसलिए 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण व्यय स्वीकार्य हैं और

पुनर्प्राप्त करने योग्य।

19. इस मुद्दे के विश्लेषण पर समझौते में एक स्पष्ट प्रावधान है कि साल के बीजों की खरीद को विभाजित किया जाएगा।

दो भागों में, पहला रॉयल्टी का होगा और दूसरा भाग साल के बीज के खरीदार का होगा और उन सभी खर्चों की डिलीवरी तक जिसमें संग्रह खर्च, खरीद मूल्य, [2021] 11 एस. सी. आर.

संचालन और पर्यवेक्षण खर्च, एजेंट कमीशन, परिवहन सभी को इकट्ठा किया जाएगा। जाँच के बाद

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार दोनों छोरों पर पहला छोर रॉयल्टी का होगा। उत्पादन स्थल। गणना के लिए बाजार दर या नीलामी या निविदा पर प्राप्त मूल्य, परिवहन (लकड़ी के पदार्थ में कटौती) खर्च को कम किया जा सकता है। इस मामले में

उत्पादन और संरक्षण के बिंदु से रॉयल्टी और व्यापार के लिए व्यवस्था होने तक सभी को प्रत्यक्ष खर्चों में इकट्ठा किया जाता है, जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, साल के बीज के संग्रह के बिंदु से लेकर उसके वितरण तक सभी खर्च हैं - इकट्ठे हुए। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पहला भाग दिखाया गया है जो 'उत्पादकों को भंडारण और खरीद मूल्य और अन्य संचालन और पर्यवेक्षण खर्चों' से संबंधित खर्चों से संबंधित है। जहाँ तक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

जहाँ तक पैरा 17 का संबंध है, राज्य सरकार की दिनांक 25.04.1981 की अधिसूचना और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य वनोपज संघ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर

यह स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक का काम अभिकर्ता/समिति द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से क्लर्क चेचर आदि के खर्च और वे सभी अन्य खर्च जो संभालने के लिए जाते हैं।

खर्च और कमीशन। और इस प्रकार जहाँ तक पर्यवेक्षण व्यय के रूप में है, किसी भी अप्रत्यक्ष को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। खर्च होता है। इस स्थिति में खाते में दिखाई गई राशि

लेखा विशेषज्ञों द्वारा समायोजन के लिए भर्ती किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

9. अपीलार्थी के विद्वान वकील-राज्य ने तर्क दिया कि पुरस्कार के सामने उपरोक्त पेटेंट अवैधता को आधार (जे) में उजागर किया गया था।

& (के) 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील का और विवादित फैसले के पैरा 3 में नोट किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय एक निष्कर्ष वापस करने में विफल रहा। यह बताया गया कि समझौते के खंड 6 (बी) में 'पर्यवेक्षण शुल्क' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और यह राज्य सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी एक परिपत्र का विषय है। अग्रिम भुगतान की मांग करते समय प्रतिवादी कंपनी को 'पर्यवेक्षण शुल्क' के शुल्क के बारे में भी सूचित किया गया था और उसने इसका भुगतान करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उन्होंने दाखिल किए गए दस्तावेजों को स्वीकार किया अपील के साथ और अनुलग्नक पी2 (कोली.) के रूप में चिह्नित जो दिए गए आदेशों की नमूना प्रतियां हैं, जो राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले साल के बीजों की कीमत और छत्तीसगढ़ और ए. एन. आर. राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि को दर्शाती हैं।

वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

प्रत्यर्थी-कंपनी का कहना है कि यह विशेष रूप से हिंदी में "पर्यवेक्षण शुल्क" के रूप में वर्णित पर्यवेक्षण शुल्क को संदर्भित करता है। यह.

इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी वर्षों से 'पर्यवेक्षण शुल्क' लगाने के संबंध में कोई आपत्ति उठाने में विफल रही है और अनुबंध की समाप्ति तक बिना किसी बाधा के उक्त राशि का भुगतान करने के बाद, विद्वान एकल मध्यस्थ के लिए 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती करने का कोई कारण नहीं था और उसने प्रत्यर्थी-कंपनी को इसे वापस करने का निर्देश दिया। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि पेटेंट अवैधता की याचिका एक घरेलू पुरस्कार की समीक्षा के लिए एक अनुमेय आधार है, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट में निर्णय। लिमिटेड वी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम Ltd.5 का हवाला दिया गया है।

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-कंपनी के विद्वान वकील, श्री प्रणव मल्होत्रा ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता-राज्य अपनी धारा 34 याचिका में 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती से संबंधित कोई आपत्ति उठाने में विफल रहा है, यह माना जाना चाहिए कि उसने उच्च न्यायालय में दायर धारा 37 याचिका में और उस मामले के लिए, इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई भी याचिका लेने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनाम का हवाला दिया। इस तरह की आपत्ति को साबित करने के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।

11. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील-राज्य ने लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। मध्य प्रदेश राज्य और

विद्वानों द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्ति को पूरा करने के लिए अन्य। प्रत्यर्थी के लिए वकील-कंपनी कि अपीलार्थी-राज्य ने 'पर्यवेक्षण शुल्क' की वापसी के पहलू पर धारा 34 याचिका में कोई विशिष्ट आधार नहीं लिया। उन्होंने दोहराया कि 'पर्यवेक्षण शुल्क' के संबंध में आपत्ति

अपीलार्थी द्वारा लिया गया था-विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष और धारा 37 याचिका में भी राज्य और उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था। 12. हमने अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

पार्टियाँ।

13. 1996 के अधिनियम के तहत पुरस्कारों के मामलों में हस्तक्षेप पर कानून को हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से सीमित किया गया है।

मध्यस्थता मामलों में न्यायालयों द्वारा। उन आधारों में से एक जिस पर एक पुरस्कार

5 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 695 6 [2010] 4 एससीसी 518 7 [2018] 16 एससीसी 758 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"पेटेंट अवैधता" को अलग रखा जा सकता है। "पेटेंट अवैधता" का गठन क्या होगा, एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में विस्तार से बताया गया है। दिल्ली

विकास प्राधिकरण, जहाँ "पेटेंट अवैधता" जो मोटे तौर पर आती है "सार्वजनिक नीति" के शीर्ष के तहत, निम्नलिखित शब्दों में तीन उप-शीर्षों में विभाजित किया गया है:

" ..... 42 . 1996 के अधिनियम में, इस सिद्धांत को "पेटेंट अवैधता" सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें बदले में, तीन उपशीर्षक शामिल हैं:

42.1 . (क) भारत के मूल कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मध्यस्थता पुरस्कार की मृत्यु हो जाएगी। इसे इस अर्थ में समझा जाना चाहिए कि इस तरह की अवैधता की जड़ तक जाना चाहिए।

मामला और तुच्छ प्रकृति का नहीं हो सकता है। यह वास्तव में अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) का उल्लंघन है, जो इस प्रकार है:

" 28. विवाद के सार पर लागू नियम। – (1)

जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है।

(क) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी अन्य मध्यस्थता में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेगा।

भारत में उस समय लागू मूल कानून के अनुसार मध्यस्थता को प्रस्तुत किया गया विवाद;

42.2 . (ख) मध्यस्थता अधिनियम के उल्लंघन को ही पेटेंट अवैध माना जाएगा-उदाहरण के लिए यदि कोई मध्यस्थ

धारा 31 (3) के उल्लंघन में पुरस्कार के लिए कोई कारण नहीं देता है।

अधिनियम के अनुसार, ऐसा पुरस्कार अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

42.3 . (ग) समान रूप से, पेटेंट अवैधता का तीसरा उपशीर्षक

वास्तव में मध्यस्थता की धारा 28 (3) का उल्लंघन है।

अधिनियम, जो निम्नानुसार है:

" 28. विवाद के सार पर लागू नियम। – (1) – (2)

***

(3) सभी मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेगा

अनुबंध की शर्तों के अनुसार और इसमें शामिल होंगे

लेन-देन पर लागू व्यापार के उपयोगों को ध्यान में रखें।

इस अंतिम उल्लंघन को एक चेतावनी के साथ समझा जाना चाहिए। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए

अनुबंध, लेकिन यदि कोई मध्यस्थ अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि पुरस्कार निर्धारित किया जा सकता है।

इस जमीन पर। एक अनुबंध की शर्तों का निर्माण है

मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के लिए निर्णय लेने के लिए जब तक कि मध्यस्थ नहीं समझता है

अनुबंध इस तरह से कि इसे कुछ कहा जा सकता है कि कोई भी निष्पक्ष या समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था।

(जोर दिया गया)

14. सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में

टेड वी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा,

न्यायपीठ, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने इसकी रूपरेखा तैयार की है।

मध्यस्थ पुरस्कारों की समीक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा

आर 1996 अधिनियम और इस प्रकार मनाया गया:

" 34. इसलिए जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति

भारत का ", चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में,

अब इसका अर्थ है "भारतीय कानून की मौलिक नीति" जैसा कि में समझाया गया है

एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 18 और 27 [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए

(2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] अर्थात मौलिक

भारतीय कानून की नीति को "रेनुसागर" में बदल दिया जाएगा।

इस अभिव्यक्ति की समझ। इसका मतलब यह होगा कि

कि पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड,

(2014) 9 एससीसी 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] का विस्तार किया गया है

हटा दिया। संक्षेप में, पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम। पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] के रूप में

इस आधार पर पुरस्कार कि मध्यस्थ ने न्यायिक व्यवस्था को नहीं अपनाया है दृष्टिकोण, न्यायालय का हस्तक्षेप गुण-दोष पर होगा

पुरस्कार, जिसकी संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संबंध है, जैसा कि निहित है

1996 के अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में, ये जारी हैं - किसी पुरस्कार को चुनौती देने का आधार होना, जैसा कि इसके पैरा 30 में निहित है।

एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49

: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204]

35. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप के लिए आधार

जैसा कि यह "भारत के हित" से संबंधित है, तब से हटा दिया गया है, और

इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, हस्तक्षेप के लिए आधार

इस आधार पर कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है

अब इसे "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए। यह फिर से एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम] के पैरा 36 से 39 के अनुरूप होगा। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], क्योंकि यह केवल ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार हैं जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं जिन्हें इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है।

36. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अब पहला अर्थ यह है कि एक घरेलू पुरस्कार भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 18 और 27 में समझा गया है। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], या दूसरा, कि ऐसा पुरस्कार न्याय या नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ है जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] धारा 34 (2) (बी) (ii) में स्पष्टीकरण 2 और धारा 48 (2) (बी) (ii) में स्पष्टीकरण 2 को जोड़ा गया था। केवल इसलिए कि पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम. वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], और विशेष रूप से पैरा 28 और 29 को अब समाप्त कर दिया गया है।

37. जहाँ तक भारत में किए गए घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, अब उप-अनुभाग के तहत एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है।

(2 - ए), संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ा गया। यहाँ, चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए

पुरस्कार का, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करता है जो बात की जड़ लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, क्या नहीं है

जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है, तो "भारतीय कानून की मौलिक नीति" के अंतर्गत आने वाले कानून का उल्लंघन, जो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा नहीं है, पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है। 38. दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन, जो कि एक अपीलीय अदालत को करने की अनुमति है, को पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

39. एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], टाट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ए. एन. आर.।

वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण समान नहीं है लेने के लिए एक संभावित दृश्य। इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटकता है और उन मामलों से निपटता है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। चुनौती का यह आधार अब धारा 34 (2-ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर आएगा।

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 31 और 32 में समझा गया है। डीडीए (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के रूप में दिखाई देगा।

पुरस्कार के चेहरे पर। इस प्रकार, किसी भी साक्षय के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो महत्वपूर्ण साक्षय की अनदेखी करता है

निर्णय विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष भी किसी भी साक्षय के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होगा क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्षय पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे भी विकृत के रूप में वर्णित करना होगा।

(जोर दिया गया)

15. दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा. लि. लिमिटेड (ऊपर) पेटेंट अवैधता के पहलुओं का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 26. पेटेंट की अवैधता अवैध होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाती है। दूसरे शब्दों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की गई कानून की प्रत्येक त्रुटि 'पेटेंट' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगी।

अवैधता '। इसी तरह, कानून के गलत अनुप्रयोग को पेटेंट अवैधता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन जो सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़ा नहीं है, 'पेटेंट अवैधता' अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर है। जो वर्जित है वह यह है कि अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों की फिर से सराहना करें कि पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता दिखाई देती है, क्योंकि अदालतें मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ अपील में नहीं बैठती हैं। पेटेंट अवैधता के आधार पर धारा 34 (2-ए) के तहत एक घरेलू पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए अनुमेय आधार तब होता है जब मध्यस्थ एक ऐसा दृष्टिकोण लेता है जो संभव भी नहीं है, या

अनुबंध में खंड इस तरह से जो कोई निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं करेगा, या यदि मध्यस्थ अनुबंध के बाहर भटककर और उन्हें आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। एक मध्यस्थ पुरस्कार जो अपने निष्कर्षों के लिए कोई कारण नहीं बताता है, इस कारण से खुद को चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील बना देगा। मध्यस्थ के निष्कर्ष जो किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करके प्राप्त किए गए हैं, विकृत हैं और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उन दस्तावेजों पर विचार करना जो दूसरे पक्ष को प्रदान नहीं किए गए हैं, अभिव्यक्ति के भीतर आने वाली विकृति का एक पहलू है।

' पेटेंट अवैधता "।

16. उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हम आगे बढ़ सकते हैं

तत्काल मामले के तथ्यों की जांच करना। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय को एकल मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थी द्वारा लिए गए आधार पर निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है-यह बताना कि विद्वान मध्यस्थ और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी से 'पर्यवेक्षण शुल्क' की वसूली से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की बाध्यकारी शर्तों की अनदेखी की है-कंपनी और राज्य सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी किया गया परिपत्र उसी तर्ज पर जो अपीलार्थी-राज्य के अनुसार, मामले के मूल तक जाता है।

17. 30 अगस्त, 1979 के मूल समझौते के कुछ प्रासंगिक नियम और शर्तें तैयार होने के लिए नीचे दी गई हैं। संदर्भ:

" 6. आपूर्ति किए गए साल के बीजों के लिए खरीदार द्वारा देय मूल्य

इस समझौते के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे:

- छत्तीसगढ़ और ए. एन. आर. वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

(क) रुपये की दर से रॉयल्टी। 312.50 / - (रुपया तीन सौ

इस समझौते के शुरुआती चार वर्षों के लिए केवल बारह और पचास पैसे) प्रति टन और।

(ख) राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष खरीदार को साल के बीज की डिलीवरी तक किए जाने वाले सभी खर्च, जिसमें संग्रह की लागत और/या भुगतान किया गया खरीद मूल्य शामिल होगा।

उत्पादकों को, साथ ही पर्यवेक्षण शुल्क, एजेंट को कमीशन, भंडारण की लागत, परिवहन आदि को संभालना। 8. नीचे दिए गए अग्रिम भुगतान के बदले खरीदार को साल के बीजों की आपूर्ति की जाएगी:

(i) खंड 6 (ए) के अनुसार रॉयल्टी की राशि शुरू में (प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के बाद नहीं) और 500 कुंतल साल बीज एक क्रॉस बैंक ड्राफ्ट या कॉल डिपॉजिट रसीद के माध्यम से संबंधित मंडल वन अधिकारी (ओं) के पक्ष में जमा की जाएगी। इस प्रारंभिक भुगतान की भरपाई खरीदार द्वारा हर सप्ताह या भुगतान की गई राशि की डिलीवरी के तुरंत बाद, जो भी पहले हो।

बशर्ते कि ऐसे किसी भी भुगतान के लिए साल के बीजों की आपूर्ति में कमी के मामले में, साल के बीजों को भुगतान की गई राशि जो वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई है, उसे बाद के भुगतान के लिए समायोजित किया जाएगा।

((ii) उपरोक्त खंड 6 (ख) में निर्दिष्ट संग्रह लागत और/या खरीद मूल्य के कारण अग्रिम भुगतान नकद में एक साथ और उल्लिखित मात्रा के लिए अलग से किया जाएगा। ऊपर और जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, ऐसे अधिकारी को जो इस संबंध में संबंधित डी. एफ. ओ. द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

9. (i) खरीदार साल के बीज के संग्रह के 24 घंटों के भीतर डी. एफ. ओ. द्वारा तय किए गए संग्रह केंद्र (केंद्रों) या गोदामों में वितरण लेने की व्यवस्था करेगा और उसे हटाने की व्यवस्था करेगा।

साल के बीज की डिलीवरी के 15 दिनों के भीतर इस तरह से जमा किया जाता है। (ii) यदि खरीदार एकत्रित साल के बीजों की डिलीवरी लेने में विफल रहता है या [2021] 11 एस. सी. आर. की अवधि के भीतर उन्हें हटाने में विफल रहता है।

ऊपर निर्धारित, तो खरीदार को भुगतान करना होगा

राज्यपाल पर्यवेक्षण शुल्क और गोदामों का किराया समाप्ति की तारीख से पाँच पैसे प्रति कुंतल प्रति दिन की दर से

ऊपर वर्णित अवधि।

(iii) यदि साल के बीजों की डिलीवरी लेने में विफलता 15 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे भी जारी रहती है, तो संबंधित संभागीय वन

अधिकारी, अपने विवेक से, खरीदार को साल के बीजों की डिलीवरी से इनकार कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को डिलीवरी की अनुमति दे सकता है।

ऐसे साल के बीजों के किसी भाग या पूरी मात्रा के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को और ऐसी परिस्थितियों में, खरीदार नुकसान की राशि के साथ-साथ पर्यवेक्षण आदि पर अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। राज्यपाल द्वारा उद्गृहीत और यह राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य हो।

18. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दोनों, मूल समझौता

दिनांक 30 अगस्त, 1979 और दिनांक 30 अप्रैल, 1992 के नवीनीकृत समझौते में "पर्यवेक्षण शुल्क" लगाने से संबंधित एक खंड शामिल था। 30 अगस्त, 1979 के मूल समझौते और 30 अप्रैल, 1992 के नवीनीकरण समझौते के अधिकांश नियम और शर्तें भौतिक रूप से समान हैं। 30 अगस्त, 1979 के समझौते का खंड 6 (बी) 30 अप्रैल, 1992 के समझौते के खंड 5 (बी) के समान है। उक्त खंडों में कहा गया है कि साल के बीजों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों में अन्य के साथ-साथ 'पर्यवेक्षण शुल्क' भी शामिल होना चाहिए। पहले समझौते का खंड 8 दूसरे समझौते के खंड 7 के समान है जो साल के बीजों की आपूर्ति को निर्धारित करता है। प्रतिवादी-कंपनी अग्रिम भुगतान के खिलाफ होगी। 30 जुलाई, 1979 के समझौते के खंड 9 (ii) और 30 अप्रैल, 1992 के समझौते के खंड 8 (ii) के बीच भी समानता है, जिसमें प्रतिवादी-कंपनी को एकत्र किए गए साल के बीजों की डिलीवरी लेने की आवश्यकता होती है।

निर्धारित समय और निर्धारित करें कि ऐसा करने में विफलता के मामले में, पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम का किराया 0.05p की एक निश्चित कीमत पर देय होगा। [पाँच पैसे] प्रति क्विंटाल प्रतिदिन।

19. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी परिपत्र में वास्तविक संग्रह के मूल्यांकन का प्रावधान है।

वर्ष 1981 से 1986 तक आपूर्ति किए गए साल के बीजों का व्यय, और यह निर्धारित करता है कि:

" 2. छत्तीसगढ़ और ए. एन. आर. की लागत को जोड़ते हुए वास्तविक व्यय में कटौती करने के बाद गणना की गई राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाया जाएगा।

वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

कुछ मामलों में जहां उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए गए थे, खर्च में साल के बीजों में सुखत (अवैध) की गणना और अदालत के आदेश के बाद आपूर्ति की तारीख से आपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज की वसूली की सिफारिश की गई है।

20. अपीलार्थी-राज्य ने धारा 37 याचिका के आधार (जे) और (के) में संशोधन शुल्क लगाने के पहलू पर एक याचिका ली थी

वीएसः

" जे. इसके लिए एल. डी. मध्यस्थ उस सामान्य की सराहना करने में विफल रहा

पर्यवेक्षण शुल्क जिसमें प्रशासनिक व्यय शामिल हैं वेतन, टेलीफोन, टी. ए./डी. ए., पी. ओ. एल. और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर किए गए अन्य खर्चों सहित और इसलिए,

परिपत्र संख्या 7/87 दिनांक 27.07.87 के माध्यम से पूर्ववर्ती राज्य

मध्य प्रदेश ने सामान्य पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में निर्धारित किया है

10 % ऐसी कीमत जिसके लिए किसी मूल्यांकन की आवश्यकता न हो।

संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था Rs.1500/- प्रति टन एस. एल. पी. (सी) संख्या 6/2000, एम. पी. बनाम राज्य में दिनांकित 17.01.2000 आदेश के अनुसार। बस्तर ऑयल मिल्स मामला, जो कि कीमत का लगभग 60 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि अनुबंध की शर्तों में दो प्रकार के पर्यवेक्षण शुल्क शामिल हैं-एक सामान्य संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क और दूसरा विशेष पर्यवेक्षण शुल्क जब साल बीज की डिलीवरी में देरी होती है।

समझौते के खंड (9) और खंड (6) के तहत मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क के बारे में कोई विवाद नहीं था और न ही प्रतिवादी द्वारा ऐसा विवाद कभी उठाया गया था। इसलिए, एकत्र किए गए सामान्य संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क की वापसी का निर्देश देने वाला आदेश कानून में गलत है और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।

रिकॉर्ड के चेहरे पर "।

21. यद्यपि उपरोक्त याचिका को पैरा 3 और 5 ई के विवादित निर्णय में दर्ज किया गया है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है:

" 3 ***

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान मध्यस्थ ने पूर्ववर्ती राज्य सरकार के उस परिपत्र की भी अनदेखी की है जिसमें सामान्य पर्यवेक्षण शुल्क तय किया गया था

मूल्य का 10 प्रतिशत, जिसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान मध्यस्थ ने यह भी नहीं माना कि जबलपुर में एम. पी. के उच्च न्यायालय ने बस्तर ऑयल मिल के मामले में डब्ल्यू. पी. संख्या 3177/99 में वसूली तय की।

मूल्य के 20 प्रतिशत पर संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क के लिए, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रु। 1,500 / - एस. एल. पी. द्वारा दिनांकित 17.01.2000 आदेश के अनुसार प्रति टन (सिविल) सं. 6/2000। इस प्रकार, विवादित पुरस्कार जिसके तहत राज्य को सामान्य संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क की वापसी का निर्देश दिया गया है

राज्य द्वारा एकत्र किया जाना कानूनन खराब है।

4 ***

5 " ..... राज्य को पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली करने का अधिकार था

खंड 6 के तहत कीमत के 10 प्रतिशत की दर से और इस संबंध में खरीदार द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया था और इस प्रकार, पुरस्कार सामान्य संचालन और पर्यवेक्षण शुल्क की वापसी का निर्देश देता है। राज्य द्वारा एकत्र किया जाना कानून के विपरीत है।

प्रत्यर्थी के दावे पर न्यायाधिकरण-पर्यवेक्षण शुल्क की कटौती की मांग करने वाली कंपनी, जिसके लिए उसने समझौते के खंड 6 (बी) और 27 जुलाई, 1987 के परिपत्र पर भरोसा करते हुए कहा कि खर्चों के साथ पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली अनुबंध का एक हिस्सा था। प्रत्यर्थी-कंपनी के साथ निष्पादित, उक्त आपत्ति को विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियमों और शर्तों को पूरी तरह से देखते हुए और यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि इस तरह के किसी भी "अप्रत्यक्ष खर्च" को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी परिपत्र, जिसमें खर्च में साल के बीजों की लागत के लिए गणना की गई राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाने का प्रावधान है, को भी नजरअंदाज कर दिया गया। विशेष रूप से, प्रतिवादी-कंपनी ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि पर्यवेक्षण शुल्क द्वारा लगाया जा रहा था

अपीलार्थी-वार्षिक आधार पर किए गए अग्रिम भुगतान के एक भाग के रूप में बिना किसी आपत्ति के उसके द्वारा भुगतान किया जा रहा है, ठीक उस तारीख से जब पक्षों ने पहला समझौता किया था, यानी 30 अगस्त, 1979 से। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा दायर आदेशों की नमूना प्रतियों से भी सामने आता है-उस अपील के साथ राज्य जो पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है कि प्रतिवादी द्वारा भुगतान किए जाने के लिए

आवश्यक साल के बीजों की लागत-कंपनी में छत्तीसगढ़ और ए. एन. आर. की स्थानीय भाषा में 'पर्यवेक्षण शुल्क' के रूप में वर्णित 'पर्यवेक्षण शुल्क' शामिल था।

वी. मेसर्स सेल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

भाषा। यह अपीलार्थी के बाद ही था-राज्य ने दूसरे को समाप्त कर दिया था 21 दिसंबर, 1998 को अनुबंध, कि प्रतिवादी-कंपनी ने एक विवाद उठाया और पहली बार, अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा किया

अपीलार्थी को उसके द्वारा कथित रूप से भुगतान किया गया-साल के बीजों की आपूर्ति के लिए किए गए पर्यवेक्षण शुल्क के लिए राज्य। हमारी राय में, यह पेटेंट अवैधता है जो मध्यस्थ पुरस्कार के सामने प्रकट होती है क्योंकि पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते के स्पष्ट नियमों और शर्तों के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27 जुलाई, 1987 को जारी किए गए परिपत्र की भी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। 23. हमें डर है कि अपीलकर्ता राज्य के खिलाफ इस आधार पर की गई छूट की याचिका कि उसने धारा 34 याचिका में उल्लिखित आधारों में ऐसी आपत्ति नहीं उठाई है और इसलिए, धारा 37 के तहत या इस न्यायालय के समक्ष दायर अपील में इसे लेने से रोक दिया गया है, भी प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं होगी-कंपनी

1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) में उपयोग की गई भाषा जो न्यायालय को एक पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार देती है यदि वह पाता है कि यह उसी के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता से दूषित है। एक बार जब अपीलकर्ता-राज्य ने धारा 37 की याचिका में ऐसा आधार ले लिया था और विवादित फैसले में इसका विधिवत उल्लेख किया गया था, तो उच्च न्यायालय को 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2ए) का सहारा लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए था, एक ऐसा प्रावधान जो धारा 37 के तहत अपील योग्य आदेश के लिए आवेदन के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका के लिए है। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी-कंपनी को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2ए) के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए उपलब्ध आधारों को न्यायालय द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपने दम पर लागू नहीं किया जा सकता था। विशेष रूप से, उप-नियम में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति है "न्यायालय यह पाता है"। इसलिए, यह तर्क के लिए खड़ा नहीं है कि एक प्रावधान जो धारा 34 के तहत एक याचिका पर निर्णय लेने में अपने दम पर कार्य करने वाले न्यायालय को सक्षम बनाता है पुरस्कार को निरस्त करना, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत की गई अपील में उपलब्ध नहीं होगा।

24. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर प्रतिवादी कंपनी के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई रिलायंस गलत पाई गई है। उपरोक्त मामले में, न्यायालय को इस बात की जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील में, अतिरिक्त/नए आधार उठाने के लिए अपील

ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1996 के अधिनियम की धारा 34 को संविधि में निर्धारित समय के भीतर पेश किया जाना था, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि धारा 34 याचिका में संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त आधारों को शामिल करना सभी स्थितियों और परिस्थितियों में एक नया आवेदन दायर करने के बराबर होगा, जिससे किसी भी मामले में कोई रोक नहीं होगी।

संशोधन, यद्यपि वह सामग्री या प्रासंगिक हो, सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद न्यायालय के विचार के लिए हो सकता है। वास्तव में, इस अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए कि "न्यायालयों को लगता है कि" लागू होता है

1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त प्रावधान न्यायालय को धारा 34 के आवेदन में संशोधन करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।

यदि मामले की परिस्थितियाँ इस तरह से आवश्यक हैं और न्याय के हित में इसकी आवश्यकता है। 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2 ए) के संदर्भ में पूर्ववर्ती अनुच्छेद में यही देखा गया है।

25. संक्षेप में, पक्षों को नियंत्रित करने वाले समझौते में खंड 6 (बी) के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं हुआ है, न ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लगाने और इसे साल के बीजों की लागत में जोड़ने के संबंध में 27 जुलाई, 1987 को जारी किए गए परिपत्र के आवेदन पर, प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा वास्तविक व्यय में कटौती करने के बाद सवाल उठाया गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ की ओर से पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने में विफलता,

निश्चित रूप से "पेटेंट अवैध आधार" को आकर्षित करता है, क्योंकि उक्त निरीक्षण 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) का घोर उल्लंघन है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पुरस्कार देते समय अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखने का आदेश देता है। उक्त 'पेटेंट अवैधता' केवल स्पष्ट नहीं है

पुरस्कार के बावजूद, यह मामले की जड़ तक जाता है और हस्तक्षेप के योग्य है। तदनुसार, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आक्षेपित अधिनिर्णय, जहां तक उसने प्रत्यर्थी-अपीलार्थी द्वारा कंपनी से वसूल किए गए 'पर्यवेक्षण शुल्क' की कटौती की अनुमति दी है-साल के बीजों की कीमत की गणना करते समय उसके द्वारा किए गए खर्च के एक हिस्से के रूप में राज्य को रद्द कर दिया

जाता है और अलग कर दिया जाता है, क्योंकि पक्षकारों और संबंधित पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध की शर्तों के साथ सीधा टकराव होता है।

वृत्ताकार। 21 अक्टूबर, 2009 के विवादित फैसले को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

26. वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है, जबकि पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

निधि जैन